E-mail:sewasewa@gmail.com
Reg.No. 535(SE) 05-03-2015
Webside: www.sewasewa.in
(An Organisation Of Social Welfare)

SEWA (सेवा)

पत्राचार का पता: डा0 एम0आर0 यादव, अध्यक्ष, 'सेवा'
डा0 श्रीनिवास यादव, गंगाबिहार कॉलौनी, निकट आई0टी0आई0, मैनपुरी रोड, इटावा–206001
मो0नं0: 8445260478, 9690205109
पंजीकृत कार्यालय–395, सोसाइटी कैम्प ताजपुर पहाडी, बदरपुर, नई दिल्ली–110044

पत्रांक सं.– सेवा/11 दिनांक– 03/03/2020

सेवा में,
माननीय प्रधानमंत्री जी,
भारत।

महोदय,

आपके नेतृत्व में देश में ''सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास'' कायम करते हुए देश में स्वच्छता, भ्रष्टाचार मुक्ति की मुहिम में नोटबंदी का सफल प्रयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देना, 3 तलाक जैसी मुस्लिम महिलाओं की सामाजिक कुरीति के खिलाफ 'मुस्लिम महिला सशक्तीकरण' के लिए कानून बनाना, राष्ट्रीय एकता की अवधारणा के खिलाफ अनुच्छेद 370 में विसंगतपूर्ण अनुच्छेदों को समाप्त कर एक राष्ट्र, एक संविधान को लागू करना आदि देश में ***सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्रों को केन्द्रीय विद्यालय/नवोदय विद्यालय में प्रवेश हेतु 27 प्रतिशत आरक्षण देने का संवैधानिक निर्णय लेकर अपनी इच्छा शक्ति को प्रमाणित कर ''मोदी है तो मुमकिन है'' की अवधारणा को सिद्ध किया है। इसके लिए आप एवं आपकी सरकार की भूरि–भूरि प्रशंसा करते हुए आपका आभार एवं धन्यवाद प्रकट करते हैं।*** इसी अवधारणा को कायम रखने हेतु कुछ बिन्दु आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं:

मुख्य बिन्दु

- आपकी सरकार की प्राथमिकता में पिछड़े और वंचित समाज को सामाजिक, शैक्षिक, रोजगार एवं संसाधनों मे प्रतिनिधित्व हेतु 1992 से राष्ट्रीय स्तर पर संवैधानिक आरक्षण की व्यवस्था की गयी है। आरक्षण को लागू हुए लगभग 28 वर्ष हो गया है। 28 वर्षो बाद भी पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व केन्द्रीय एवं राज्य सेवाओं में जातीय, सामाजिक एवं शैक्षिक पक्षपात के कारण 5–7 प्रतिशत तक भी पूरा नहीं हो पाया है। इसके पीछे एक कारण असंवैधानिक रूप से क्रीमीलेयर का थोपा जाना भी प्रतीत होता है। क्रीमीलेयर का संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। **अभी 18 फरवरी, 2020 के नवभारत टाइम्स की सूचना के अनुसार क्रीमीलेयर के नियमों को बदलकर (गरीब किसान एवं अल्पवेतन भोगियों) कृषि एवं वेतन की आय को क्रीमीलेयर में शामिल कर पिछड़े वर्ग के रोजगार एवं संसाधनों में प्रतिनिधित्व को कम करने हेतु निर्णय प्रतीत होता है।** आपसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध है कि वर्तमान सरकार की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए पिछड़े एवं वंचित समाज को प्रतिनिधित्व पूर्ण करने हेतु उपरोक्त नियमों को शामिल न किया जाये तथा पूर्व से नियोजित क्रीमीलेयर में शिथिलता बरतते हुए 8 लाख की आय को 18 लाख की आय का मानक किया जाये तथा पिछड़े वर्ग का संवैधानिक आरक्षण पूर्ण करने हेतु बैकलॉग की व्यवस्था की जाय एवं पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व पूर्ण करने हेतु आरक्षण के मानक 27 प्रतिशत को बढ़ाकर बी0पी0 मण्डल रिपोर्ट के अनुसार 54 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था करते हुए पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधित्व को पूर्ण किया जाय। एस0सी0/एस0टी0 की तरह ओ0बी0सी0 का उच्च पदों पर प्रतिनिधित्व पूर्ण करने हेतु प्रमोशन में ओ0बी0सी0 के आरक्षण व्यवस्था बहाल की जाये। सरकारी नौकरियों में आनारक्षित सीटों पर नॉनक्रीमीलयर आरक्षित श्रेणी के चयनित अभ्यार्थियों के नियुक्ति पत्र/सेवा पुस्तिका मे **अनारक्षित श्रेणी चयन** का उल्लेख किया जाये।
- भारत सरकार की प्राथमिकता में सबको शिक्षा एवं रोजगार परक शिक्षा दिलाना है, वहीं यह देखा जा रहा है कि भारत सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा सामान्य एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के समस्त छात्रों को

Scanned with CamScanner

छात्रवृत्ति एवं फीस प्रतिपूर्ति के रूप में पर्याप्त धन उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं देश और प्रदेशों में अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति/फीस प्रतिपूर्ति हेतु मानक के अनुसार भी धन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। आपसे अनुरोध है कि अन्य पिछड़े वर्ग के समस्त छात्रों को समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों में छात्रवृत्ति एवं फीस प्रतिपूर्ति हेतु धन उपलब्ध कराने की कृपा करें, जिससे देश एवं राज्यों में पिछड़े वर्ग के छात्र भी शिक्षा एवं रोजगारपरक शिक्षा प्राप्त कर देश एवं प्रदेश के विकास में अपना योगदान प्रदान कर सकें।

- सितम्बर, 2018 में घोषित सामाजिक न्याय की अवधारणा को साकार करने हेतु जातीय जनगणना कराने का वायदा आपके द्वारा देश से किया गया था। हमें (सेवा) को रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इण्डिया के **पत्र संख्याः F.No.28-1-2019-SS (Public Grivences) दिनांकः 31.12.2019 के द्वारा अवगत कराया गया है कि 2021 की जनगणना में एस0सी0/एस0टी0 को छोड़कर किसी भी अन्य जाति/समुदाय की जनगणना नहीं की जा रही है।** आपसे पुनः अनुरोध है कि देश में सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक स्थिति जानने के लिए समस्त जातियों की जनगणना देश हित में है, आपकी सरकार की प्राथमिकता के अनुसार ही लोगों को न्याय प्राप्त कराया जा सकेगा। जिससे देश के सामने 1931 के बाद 2021 (90 साल बाद) में समस्त जातियों की जनसंख्या एवं उनकी सामाजिकता, शैक्षिक, आर्थिक स्थिति देश के सामने आ सके और आपकी सरकार उसके अनुसार ही लोगों को न्याय प्राप्त करा सके।
- देश के संविधान में योग्यता के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव न किया जाना न्याय संगत है। देश के संविधान में एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0 को उनके साथ सामाजिक और शैक्षिक पक्षपात के कारण संविधान में उनको विशेष अवसर/आरक्षण का प्रावधान किया गया है। जिससे देश के संसाधनों एवं संचालन में एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0 को उनका पूर्ण प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके। **भारत सरकार के Ministory of Personnel, Public Grievances & Pensions, Department of Personnel & Training Establishment (Reservation-1) Sec के पत्र संः File No. 43014/4/2018 Estt.(Res), Government of India North Block, New Delhi दिनांकः 04 अप्रैल, 2018 के ऑफिस मेमोरेन्डम से ज्ञात हुआ है कि MO No. 36012/2/96-Estt.(Res) दिनांकः 02.07.1997 में भारत सरकार के अधीन नौकरियों में सीधी भर्ती में योग्यता के आधार पर चयनित रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी को रिजर्व कैटेगरी के सापेक्ष नहीं गिना जायेगा।** वहीं OM No. 36011/1/98 Estt.(Res) दिनांकः 01.07.1998 में आरक्षित श्रेणी का व्यक्ति आयु सीमा, मौका, अनुभव एवं योग्यता में शिथिलता लेने के बाद अगर आरक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के बराबर योग्यता धारित करता है तब भी उसे अनारक्षित श्रेणी में नहीं गिना जायेगा। यह आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के साथ योग्यता के आधार पर संवैधानिक अधिकार में अवरोध है। अभी इसी मेमोरेन्डम के आधार पर मा0 उच्चतम न्यायालय एवं मा0 उच्च न्यायालय द्वारा योग्य अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी में जाने से रोका है। इसी न्यायालय एवं भारत सरकार के आदेश के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग/लोक सेवा आयोग/प्रांतीय अन्य चयन आयोगों द्वारा इस तरह की अवधारणा को अपने यहाँ निर्धारित कर पिछड़े वर्ग के योग्य अभ्यर्थियों को अनारक्षित कोटे में स्थान न देना, योग्यता के आधार पर संविधान की अवहेलना है। इसी तरह का मामला उ0प्र0 लोक सेवा आयोग में 09.02.2020 को आदेश पारित कर योग्य आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी में (जो सभी श्रेणी के लिए मान्य है) चयनित न किये जाने का निर्णय लिया गया है। **अतः महोदय आपसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध है कि Ministory of Personnel, Public Grievances & Pensions, Department of Personnel & Training Establishment (Reservation-1) Sec द्वारा जारी किये गये OM No. 36011/1/98 Estt.(Res) दिनांकः 01.07.1998 को संशोधित कर आरक्षित श्रेणी को शिथिलता का लाभ देते हुए अभ्यर्थियों की योग्यता के आधार पर अनारक्षित में चयन हेतु संवैधानिक अधिकार प्राप्त कराने की कृपा करें।**
- देश में बहुसंख्यक आबादी पिछड़ा वर्ग आजादी के 70 वर्ष बाद भी सामाजिक, जातीय, शैक्षिक, और आर्थिक उत्पीड़न का शिकार है, सरकार के तमाम शासनादेशों (28 वर्षो से राष्ट्रीय स्तर पर आरक्षण लागू होने के) के वाबजूद भी पिछड़े वर्ग के साथ सरकारी एवं गैर सरकारी सेवाओं/योजनाओं में उसको पक्षपात के चलते पूर्ण प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पक्षपात करने वाली व्यवस्था के खिलाफ पिछड़े वर्ग को जातीय और सामाजिक पक्षपात से बचाने के लिए देश में ऐसा कोई कानून नहीं जिससे उसको संवैधानिक एवं कानूनी सुरक्षा दी जा सके और पक्षपात करने वाले के विरूद्ध दण्ड का प्रावधान किया जा सके। पिछड़े वर्ग के संरक्षण हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संरक्षण अधिनियम/एक्ट के समान पिछड़े वर्ग के संरक्षण हेतु पिछड़ा वर्ग संरक्षण अधिनियम/एक्ट बनाकर लागू किया जाये। जिससे देश में बहुसंख्यक आबादी के

Scanned with CamScanner

सामाजिक हितों का संरक्षण हो सके।

- वर्ष 2006 से उच्च शिक्षा/तकनीकी/शोध/चिकित्सा शिक्षा में भी ओ0बी0सी0 को राष्ट्रीय एवं प्रान्तीय स्तर पर 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रॉवधान जारी है। लेकिन मेडिकल शिक्षा के लिए आयोजित नीट द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से एम.बी.बी.एस. एवं पी.जी./सुपर पी.जी. पाठ्यक्रम में आवंटित **15 प्रतिशत केन्द्रीय सीटों पर ओ.बी.सी. को आरक्षण** प्रदान नहीं किया गया है। कृपया इसको लागू किया जाय तथा नये एन0एम0सी0 के प्राविधान में एम0बी0बी0एस0 के फाइनल इयर के नेस्ट परीक्षा के माध्यम से मैरिट के आधार पर पी0जी0 की सीटें आवंटित करने का प्राविधान निरस्त कर पूर्व संचालित पी0जी0 नीट की परीक्षा से ही लिया जाय।
- देश में कार्यरत सभी संविदा/मास्टर रोल पर नियुक्त कर्मचारी/अधिकारियों/शिक्षा मित्रों/आंगनबाडी/आशा एवं सेवा प्रदाता एजेन्सियों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्तियों मे मण्डल कमीशन रिर्पोट के आधार पर आरक्षण व्यवस्था लागू करने और नियमित करने का प्राविधान किया जाये। नियमित न करने की दशा मे समान कार्य समान वेतन की नीति लागू की जाये। अस्थायी/नियमित कार्यरत सभी अधिकारी/कर्मचारी/शिक्षकों की पुरानी पेंशन बहाल की जाये तथा सभी कर्मचारियों को ग्रुप इन्श्योरेन्स में शामिल किया जाये।
- आपसे अनुरोध है कि केन्द्र की तरह राज्यों में भी त्रैस्तरीय आरक्षण प्रणाली बहाल की जाये एवं माध्यमिक/उच्च/तकनीकी/चिकित्सा शिक्षा में प्रधानाचार्य/असिस्टेन्ट/एसोसिएट/प्रोफेसर/वाइस चान्सलर आदि के पदों को एकल पद मानकर आरक्षण से मुक्त किया गया है उनको प्रांतीय/राष्ट्रीय स्तर पर एक केडर मानकर आरक्षण प्रणाली लागू की जाये और इनकी नियुक्ति का प्रावधान प्रांतीय महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/तकनीकी/चिकित्सा विश्वविद्यालय की चयन प्रक्रिया प्रांतीय शिक्षा आयोग बनाकर तथा राष्ट्रीय महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/तकनीकी/चिकित्सा विश्वविद्यालय की चयन प्रक्रिया राष्ट्रीय शिक्षा आयोग बनाकर चयन प्रक्रिया की जाय।
- सम्पूर्ण भारत देश में सामाजिक समता स्थापित करने के उददेश्य से पिछडें वर्ग के संवैधानिक अधिकारों के लियें संघर्षरत रहे माननीय बी.पी. मण्डल साहब को भारत का सर्वोच्च सम्मान (भारत रत्न) प्रदान करने के लियें पुरजोर पहल की जायें एवं उनके जन्मदिन 25 अगस्त तथा निर्वाण दिवस 13 अप्रैल को राजपत्रित अवकाश घोषित किया जाये।
- भारतीय न्याय व्यवस्था मे पिछडे वर्ग के प्रतिनिधित्व को पूर्ण किया जाये तथा न्यायधीशों की भर्ती न्यायिक चयन बोर्ड बनाकर की जाये। न्यायिक व्यवस्था मे सहयोग हेतु सरकारी अधिवक्ताओं की नियुक्तियों (सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय/जिला न्यायालय) मे ओ.बी.सी. को प्राप्त आरक्षण नीति के आधार पर पूर्ण प्रतिनिधित्व दिया जाये।
- देश और प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्ति के लिए राजस्व सीलिंग एक्ट का दायरा क्रीमीलेयर से जोड़ते हुए सीलिंग एक्ट की परिधि में आवासीय भूमि, धार्मिक ट्रस्ट, निजी ट्रस्ट, निजी संस्था को भी दायरे में लाया जाये तथा निजी सम्पत्ति रखने की सीमा बांधी जाय। देश में गरीब और अमीर नागरिकों के बीच आय/व्यय का अन्तर निर्धारित किया जाय।
- **एक देश, एक संविधान, एक विधान, एक निशान, एक शिक्षा, एक स्वास्थ्य, एक रोजगार, एक निर्वाचन की नीति लागू हो।** जिसके तहत् सभी राज्यों एवं केन्द्रीय बोर्डो का पाठ्यक्रम एक ही हो (भाषा कोई भी हो), जिससे शिक्षा में एकरूपता आये। समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं का भी पाठ्यक्रम पूरे देश में एक ही हो। राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तर पर शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का मानक नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में एक समान हो। सभी को समान रूप से रोजगार उपलब्ध कराने की नैतिक जिम्मेदारी सरकारों की हो, तभी देश के विकसित होने का सपना साकार हो सकता है।

भवदीय

(डा0 एम0आर0 यादव)
राष्ट्रीय अध्यक्ष 'सेवा'
गंगाबिहार कॉलौनी, निकट आई0टी0आई0
मैनपुरी रोड, इटावा–206001

Scanned with CamScanner